



Neutral Citation No. - 2026:AHC:8400

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 736 वर्ष 2026

कपिलआवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्यविपक्षी पक्ष

आवेदक के अधिवक्ता : आकाश तोमर

विपक्षी पक्ष के अधिवक्ता : शा.अधि.

न्यायालय संख्या - 66

माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल

1. वाद-सूची की पुनः पुकार कराई गई है। आज आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दाखिल अनुपूरक शपथपत्र अभिलेख पर लिया जाता है।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री आकाश तोमर का संक्षिप्त कार्यभार संभाल रहे श्री प्रांशु गुप्ता, अधिवक्ता, तथा सूचनादाता के विद्वान अधिवक्ता श्री सैयद शाहनवाज शाह का संक्षिप्त कार्यभार संभाल रहे श्री मोहम्मद नूरुद्दीन खान, अधिवक्ता, तथा विद्वान राज्य विधि अधिकारी श्री आर.पी. पटेल को सुना गया तथा अभिलेख पर रखी गई सामग्री का भी अवलोकन किया गया।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. आवेदक ने मुकदमा अपराध संख्या 237 वर्ष 2025, धारा 103(1), 61(2), 238 भारतीय न्याय संहिता, थाना मुंडाली, जिला मेरठ में, विचारण के लंबित रहने की अवधि में जमानत की मांग की है।
4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि आवेदक निर्दोष है और उसे वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। उसका एफआईआर में लगाए गए आरोप के अनुसार उक्त अपराध से कोई संबंध नहीं है। उसका नाम एफआईआर में नहीं है। उसका नाम सह-अभियुक्त राहुल के इकबालिया बयान में आया है, जिसका कानून की दृष्टि में कोई साक्ष्यिक मूल्य नहीं है।
5. विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कहा है कि आवेदक को सौंपे गए आपराधिक इतिहास को शपथपत्र में स्पष्ट किया गया है। आवेदक दिनांक 19.11.2025 से जेल में बंद है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और विचारण में सहयोग करेगा।
6. इसके विपरीत, विद्वान राज्य विधि अधिकारी एवं सूचनादाता के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत आवेदन का बलपूर्वक विरोध किया, किंतु आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाई गई प्रस्तुतियों का खंडन करने में असमर्थ रहे।
7. **प्रभाकर तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, (2020) 11 एससीसी 648** के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अभिमत व्यक्त किया है कि किसी अभियुक्त के विरुद्ध कई आपराधिक मामलों का लंबित होना स्वयं जमानत अस्वीकार करने का आधार नहीं हो सकता।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



8. मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा की गई प्रस्तुतियों, अपराध की प्रकृति, दंड की गंभीरता पर विचार करते हुए तथा यह भी ध्यान में रखते हुए कि आवेदक का नाम एफआईआर में नहीं है और उसके विरुद्ध कोई ठोस साक्ष्य सामने नहीं आया है, मैं प्रथम दृष्टया इसे आवेदक को जमानत पर रिहा करने का उचित मामला पाता हूं। जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।
9. आवेदक **कपिल**, जो उपरोक्त मुकदमा अपराध में संलिप्त है, को व्यक्तिगत बंधपत्र तथा उसी राशि में दो प्रतिभूतियां संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए। आगे, रिहाई आदेश जारी करने से पूर्व प्रतिभूतियों का सत्यापन किया जाए।
- i) आवेदक विचारण के दौरान साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
 - ii) आवेदक अभियोजन साक्षियों पर दबाव नहीं डालेगा/उन्हें डराएगा नहीं।
 - iii) आवेदक निर्धारित तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।
10. उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, यह जमानत निरस्त करने का आधार होगा।
11. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत देने में की गई टिप्पणियां किसी भी प्रकार से विद्वान विचारण न्यायाधीश को साक्षियों की गवाही के आधार पर अपना स्वतंत्र मत बनाने में प्रभावित नहीं करेंगी।

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)

13 जनवरी, 2026

सिद्धांत

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।